*भारतीय ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र : बड़ी चुनौतियां और आगे का रास्ता**

दीपाली पंत जोशी

सिंडीकेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डा. थिंगल्या जी, मंगलौर इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी एंड इंजीनियरिंग के प्राचार्य, जी एल ईश्वर प्रसाद जी, वरिष्ठ बैंकर और प्रिय विद्यार्थियो. मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान में आपके बीच आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूं जिसने बहुत ही कम समय में इंजीनियरी अध्ययन के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. मैं इस सामयिक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित, सौभाग्यशाली और प्रसन्न अनुभव कर रही हूं जिसका विषय ''भारतीय ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र : बड़ी चुनौतियां और आगे का रास्ता'' है, जो भारतीय बैंकिंग के अति महत्वपूर्ण समझे जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र से सबंधित है. मैं संयोजकों और विशेष रूप से आदरणीय डा. थिंगल्या का मुझे यहां बुलाने के लिए धन्यवाद करती हूं.

वैश्विक वित्तीय संकट तथा वर्तमान यूरो जोन संकट ने जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों को विपरीत रूप से प्रभावित किया, वहीं भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी बैंक प्रभावित हुए हैं. वित्तीय स्थिरता, आर्थिक संवृद्धि तथा मुद्रा-स्फीति के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों का सामना उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विनियामक तो कर ही रहे हैं, ये हमारी जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी समान महत्व रखती हैं. वैश्विक आर्थिक संवृद्धि में गिरावट हो रही है जो 2011के 3.9 प्रतिशत से 2012 में घट कर 3.2 प्रतिशत रह गई. शेष विश्व में जो कुछ घट रहा है, उससे हम भी अछूते नहीं हैं, चालू वर्ष में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने हमारी आर्थिक संवृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया है. हमारे वित्तमंत्री श्री चिदंबरम ने ठीक ही कहा है- ''अंतिम अनुमान कुछ भी क्यों न हो, वह भारत की 8 प्रतिशत की संभावित संवृद्धि से कम ही रहेगा. उस संवृद्धि दर पर वापस पहुंचना देश के सामने चुनौती है.'' यदि समाज का एक बड़ा वर्ग उपेक्षित रहता है और जो लोग वित्तीय रूप से वंचित हैं, उन्हें उसके दायरे में नहीं लाया जाता तो स्पष्टतः उस उच्च संवृद्धि दर तक नहीं पहुंचा जा सकता. वित्तीय समावेशन भारतीय बैंकिंग के समक्ष एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है.

देश में बैंकों के सामने अगले एक दशक या उससे भी अधिक के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह 120 बिलियन लोगों से अधिक के देश में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों तक बैंकिंग व्यवसाय ले जाने से संबंधित है. आज मैं इस अवसर का उपयोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सामने उपस्थित समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए करूंगी, जिनमें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और शिक्षण शामिल हैं. गवर्नर डा. सुब्बाराव ने वित्तीय समावेशन को समीकरण का पूर्ति पक्ष और वित्तीय साक्षरता को मांग पक्ष ठीक ही निरूपित किया है.

(i) प्राथमिक क्षेत्र को उधार

प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा धीरे-धीरे विकसित हुई है और आज प्राथमिकता क्षेत्र को मौटे तौर पर अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के रूप में लिया जाता है, जिन्हें प्राथमिक क्षेत्र संवर्ग में समावेशन के अभाव में समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिलेगा. ऐसे क्षेत्र हैं - कृषि और उससे संबंधित कार्यों के लिए सीमांत तथा लघु किसानों को लघु ऋण, लघु और अति लघु उपक्रमों को ऋण, लघु आवासन परियोजनाओं को ऋण, शैक्षणिक ऋण तथा लघु आय वाले लोगों को अन्य लघु ऋण. फिलहाल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए सकल अग्रिम लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण अथवा तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत रखा गया है. बीस से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य के मामले में 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप में घरेलू बैंकों के समकक्ष लाया जा रहा है. बीस शखाओं से कम वाले विदेशी बैंकों के लिए समग्र लक्ष्य 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.

जैसा कि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है, घरेलू बैंक अर्थात् सरकारी और निजी बैंक 2012 में 40 प्रतिशत के इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके.

* एमआइटीई, मंगलौर में 4 मई 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक डा. दीपाली पंत जोशी द्वारा दिया गया भाषण. श्री ए के मिश्रा, श्री टी वी राव, श्रीमती सुषमा विज, श्री पी मनोज, श्री बिपिन नायर और श्रीमती मृगा परांजपे से मिले सहयोग के लिए आभार.

बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण

(राशि बिलियन रुपये में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
2011	10,215	2,491	667
	(41.0)	(46.7)	(39.7)
2012	11,299	2,864	805
	(37.4)	(39.4)	(40.8)

टिप्पणी: लघु कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में एएनबीसी या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो,से प्रतिशत दर्शाते हैं.

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2012

एनएसएस के 59वें सर्वे के अनुसार समस्त किसान घरों में 2 हेक्टेयर और उससे कम भूमि वालों का प्रतिशत 84 था. ऐसे लघु और सीमांत किसानों में से केवल 46.3 प्रतिशत की ही ऋण तक पहुंच थी. अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अभी भी बड़ी संख्या में किसान साहूकारों पर निर्भर हैं.

किसानों के कुल ऋण में हिस्सा

(प्रतिशत)

ऋण का स्रोत	1951	1961	1971	1981	1991	2002
संस्थागत	7.3	18.7	31.7	63.2	66.3	61.1
गैर-संस्थागत	92.7	81.3	68.3	36.8	30.6	38.9
साहूकार	69.7	49.2	36.1	16.1	17.5	26.8
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत - अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे. एनएसएस, भारत सरकार, विभिन्न दौर.

मुख्य चुनौती सभी किसानों को संस्थागत ढ़ांचे के अंतर्गत लाने की है. कृषि क्षेत्र को ऋण की वृद्धि के लिए कई कदम उठाए गए हैं. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना वर्ष 1998-99 में शुरू की गई थी ताकि किसान कृषि के लिए निविष्टि वस्तुएं खरीद सकें तथा अपनी उत्पादक आवश्यकताओं के लिए नकद आहरित कर सकें. वर्ष 2004 में नाबार्ड ने मॉडल केसीसी योजना में संशोधन किए ताकि समग्र कृषि दृष्टिकोण अपनाते हुए एकल खिड़की के अंतर्गत लोचपूर्ण तथा सरलीकृत क्रियाविधियों के जरिये किसानों को उनकी समस्त ऋण आवश्यकताओं के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके. इस योजना में अब मीयादी ऋण को भी शामिल किया गया है ताकि कृषि और उससे संबंधित कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी के साथ-साथ उनकी उपभोग संबंधी जरूरतों के लिए भी समुचित ऋण मिल सके. वर्ष 2011-12 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 68,03,051 केसीसी जारी करके 69,51,768,45 लाख की कुल सीमाएं स्वीकृत कीं. इस योजना की शुरूआत से लेकर मार्च 2012 तक सरकारी क्षेत्र द्वारा जारी किए गए केसीसी की संख्या 5,47,49,373.00 थी और कुल स्वीकृत सीमाएं 3,53,14,527.11 रुपये की थीं. हमने हाल ही में केसीसी योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए 1 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए मार्जिन/जमानत संबंधी मानदंडों को हटा दिया है ताकि लघु किसानों को आसानी से ऋण मिल सके और उन्हें दिये जाने वाले ऋण-प्रवाह में वृद्धि हो सके.

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि बिना मध्यस्थों के किसानों को सीधे ही ऋण मिल सके. इससे बेहतर जोखिम प्रबंधन के साथ लेनदेन, सुपुर्दगी तथा प्रशासन की लागत में कमी आएगी. बैंकों को निश्चित रूप से कम लागत वाले लघु ऋणों की बड़ी संख्या से जमाराशियां उपलब्ध होंगी जिससे उन्हें लाभ मिलेगा तथा गरीबतम लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा.

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों को बैंकों के लिए व्यवहार्य बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2010 से सभी प्रकार के ऋणों पर से ब्याज दर सीमा को हटा लिया है, जिसमें लघु ऋण भी शामिल हैं, जिन्हें बैंकों की आधार दर से जोड़ा गया है. इस प्रकार से प्राथमिकता क्षेत्र को ऋणों के संबंध में कोई वरीयताप्राप्त ब्याज दरें नहीं रह गई हैं. अतः प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले उधार अब प्रतिस्पर्धी तथा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बन गए हैं.

हमने मूल्य-निर्धारण की अधिकतम सीमाएं क्यों हटाईं? बैंक ऋणों के अभाव में समाज के कमजोर और गरीब लोग बहुत ऊंची दर पर ऋण लेते हैं क्योंकि उनके पास औपचारिक स्रोतों तक पहुंच नहीं है. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में बैंकों को नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की चुनौतियों से तभी निपटा जा सकता है जब बैंक इस क्षेत्र को ऋण देने को दायित्व के रूप में न लेकर अपने सामान्य व्यवसाय के तौर पर लें. संभावनाओं से भरे ग्रामीण बाजार में बैंकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध हैं. जरूरत इस बात की है कि बैंक ऐसे नए उत्पाद विकसित करें जो किसानों, समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों. बैंकों को नए सुपुर्दगी माध्यमों के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी को भी अपनाना होगा ताकि ऋण वितरण की

लागत को घटाया जा सके. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को एक व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में लिया जाना होगा.

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1976 में ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाला मध्यस्थ ढांचा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण उपलब्ध हो सके. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वाणिज्यिक बैंकों की प्रबंधकीय क्षमता, सहकारी बैंकों की सुपरिचितता तथा स्थानीय चीजों से जुड़ कर काम करें. इन बैंकों पर भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रयोजक बैंकों का संयुक्त स्वामित्व है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निर्गमित पूंजी में इनका हिस्सा क्रमशः 50,15 और 35 प्रतिशत है. व्यवहार में, इन्होंने सहकारी बैंकों में हावी राजनीति तथा वाणिज्यिक बैंकों की निम्नस्तर यूनियनबाजी उधार ली है. कम लागतवाला ढांचा भी ओबुल रेड्डी की उस रिपोर्ट के बाद तिरोहित हो गया जिसने इनके कर्मचारियों के वेतन को वाणिज्य बैंकों के वेतन के बराबर कर दिया.

कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारी हानि हुई है. इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं. भारत सरकार द्वारा 2009 में की गई समीक्षा के दौरान यह पाया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात बहुत कम था. डा. के सी चक्रवर्ती समिति ने क्षेत्रीय् ग्रामीण बैंकों के सीआरआर को वहनीय आधार पर कम से कम 9 प्रतिशत पर लाने का सुझाव दिया था. इस समिति ने अन्य सुझावों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया था कि 21 राज्यों में 40 क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों का 2200 करोड़ रुपये से पुनर्पूंजीकरण किया जाए, जिसमें से 1100 करोड़ रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने थे. वर्ष 2010-11 में शुरू की गई पुनर्पूंजीकरण की इस प्रक्रिया को 2013-14 तक विस्तारित कर दिया गया है. कई समितियों ने इन बैंकों की व्यवहार्यता पर विचार किया और अंततः क्षेत्र विशेष में इनकी समीपता के आधार पर इनके समामेलन का निर्णय लिया गया. प्रारंभ में, देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे. पहली अक्तूबर 2012 से शुरू किए गए समामेलन के दूसरे चरण में 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिला कर 14 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए हैं. इन बैंकों को मजबूत बनाने के इरादे से किए गए इन बड़े समामेलनों के बाद अब देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घट कर 62 रह गई है.

निरंतर व्यवहार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (अर्थात् संचित हानि के बिना निवल चालू लाभ कमाने वाले बैंक) की संख्या 31 मार्च 2011 के 58 से बढ़ कर 31 मार्च 2012 को 60 हो गई थी.

(iii) वित्तीय समावेशन

अब मैं दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकों के प्रवेश में वृद्धि और शाखा-विस्तार पर आती हूं. इस संबंध में हमने बड़े कदम उठाए हैं और इसे अग्रणी बैंक योजना के माध्यम से किया जा रहा है. हमने नवंबर 2009 में बैंकों को यह सूचित किया था कि वे 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में मार्च 2012 तक बैंकिंग शाखाओं के जरिये बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करने के लिए तरीका ईजाद करें. बैंकों से यह कहा गया कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं अनिवार्यतः ईंट और मोर्टार से बनी शाखाओं के माध्यम से न होकर बैंकिंग करेस्पोंडेंट सहित आइसीटी-आधारित विभिन्न रूपों में भी दी जा सकती हैं. 2000 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए तरीके से अब तक बैंक सुविधा रहित 74199 गांवों में 2493 शाखाओं, 69374 बिजनेस करेस्पोंडेंट और एटीएम जैसे अन्य 2332 मॉडलों सहित बैंकिंग-सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं.

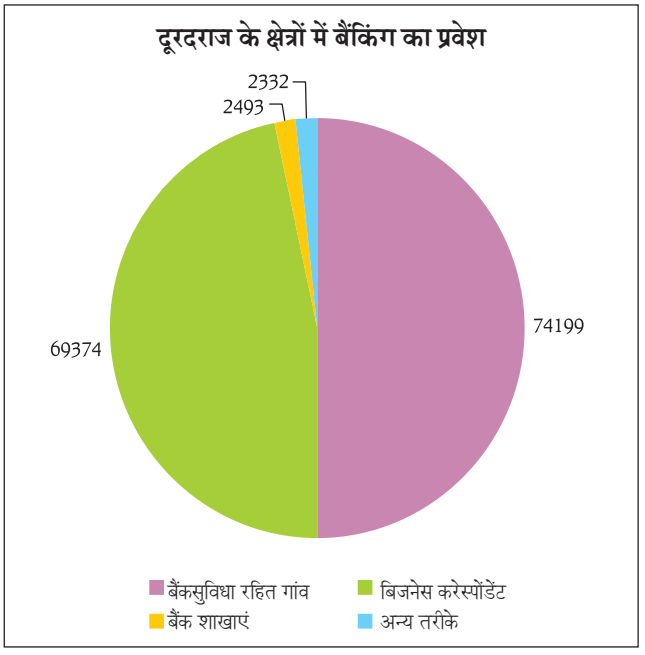

अब आप मुझसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं कैसे पहुंचाई जाएंगी? वर्ष 2012-13 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंकरहित गांवों तक बैंकिग सुविधाएं पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समितियां रास्ता तलाशेंगी तथा विशेष रूप से ईबीटी सेवाओं से शुरूआत करते हुए समयबद्ध रूप में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन गांवों को बैंकों को आबंटित करेंगी. लक्ष्य यह है कि देश भर में प्रत्येक घर/ व्यक्ति का एक बैंक खाता हो. शुरूआती तौर पर, बैंकों से यह कहा गया है कि वे ईबीटी हितधारकों को उनके दरवाजे पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि मनरेगा मजदूरी सहित सभी नकद सहायता सीधे उनके खातों में अंतरित की जा सके. इस हेतु बिजनेस करेस्पोंडेंट उन गांवों के नियमित दौरे करें जो उन्हें सौंपे गए हैं और कुछ समय बाद उन्हें सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिनमें विप्रेषण, आवर्ती जमा, केसीसी और जीसीसी के रूप में उद्यमी ऋण, बीमा (जीवन और गैर-जीवन) तथा अन्य बैंकिंग सेवाए शाखाओं और बिजनेस करेस्पोंडेंट नेटवर्क के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को उपलब्ध कराना शामिल है. हमने इस बात पर भी बल दिया है कि पर्याप्त संख्या में ईंटों और मोर्टार वाली शाखाओं की योजना बनाई जाए ताकि लगभग 8-10 बिजनेस करेस्पोंडेंट के प्रत्येक समूह को 3-4 किलोमीटर के उचित दायरे में ईंट और मोर्टार वाली एक शाखा का समर्थन हासिल हो सके. उक्त योजना के अनुसार 2000 से कम जनसंख्या वाले लगभग 484000 गांव विभिन्न बैंकों को आबंटित किए जा चुके हैं ताकि वे आगामी तीन वर्षों में उन्हें बैंकिंग सेवाएं पहुंचा सकें.

वित्तीय समावेशन योजना

वित्तीय समावेशन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है जिससे सामान्य रूप से समाज के सभी वर्ग और विशेष रूप से उपेक्षित, कम आय वाले और कमजोर वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त वित्तीय उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध की जा सकें और उन्हें उनकी पहुंच के दायरे में इस प्रकार लाया जा सके कि वे उनकी लागत को वहन कर सकें और उन्हें साहूकारों के पास न जाना पड़े. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए बैंक-नीत मॉडल अपनाया है जो प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर आधारित है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2006 में बैंकों को गैर-सरकारी संगठनों, व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़ कर) तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग मध्यस्थ के रूप में करने की अनुमति प्रदान की ताकि बिजनेस फेसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पोंडेंट मॉडल के जरिये बैंकिग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में उनका उपयोग किया जा सके. बिजनेस करेस्पोंडेंट मॉडल ग्रामीण जनता को उनके पास की जगह में नकदी जमा करने और निकालने के लिए बैंकों को सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार ''अंतिम मील'' की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा रहा है. इसके लिए, विनियामक दिशानिर्देशों में छूट, नए उत्पादों का प्रावधान तथा अन्य समर्थनकारी उपायों की नीति अपनाई जा रही है ताकि वित्तीय समावेशन सतत रूप से और तेजी से हो सके. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें जनवरी 2010 में सभी बैंकों से यह कहा गया कि वे 2013 तक विस्तारित तीन वर्ष की अवधि के लिए अपनी व्यावसायिक नीतियों और तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपने बोर्ड से अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना बनाएं. इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक रिपोर्टिंग फार्मेटों के जरिये तथा बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिये कड़ी निगरानी रखी गई.

मुझे विश्वास है कि आप सभी यह जानना चाहेंगे कि प्रथम तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना अवधि (2010-13) में बैंकों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा?

वित्तीय समावेशन योजना (2010-13) अप्रैल 2010 में शुरू हुई और मार्च 2013 में समाप्त हुई. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के प्रवेश में काफी वृद्धि हुई है.

बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2012 तक की गई प्रगति की मुख्य बातें यहां नीचे दी जा रही हैं-

i. योजना अवधि की शुरूआत में बैंकिग 67,694 गांवों तक ही मौजूद थी जो 2,11,234 गांवों तक पहुंचाई गई. इस अवधि में 5,694 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं.

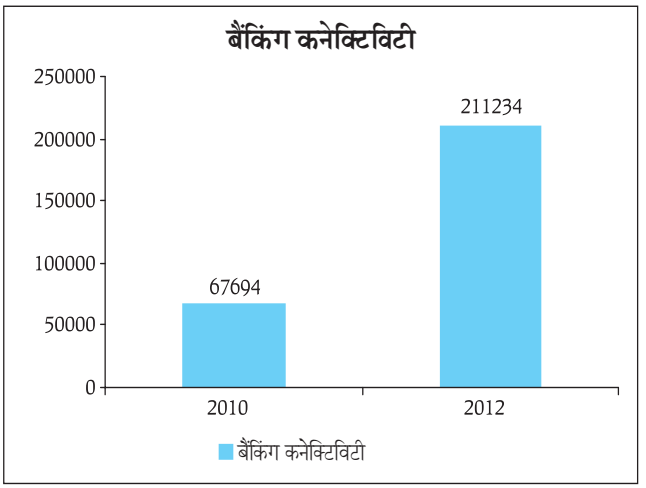

ii. बिजनेस करेस्पोंडेंट की संख्या 34,532 से बढ़ कर 1,52,328 हो गई

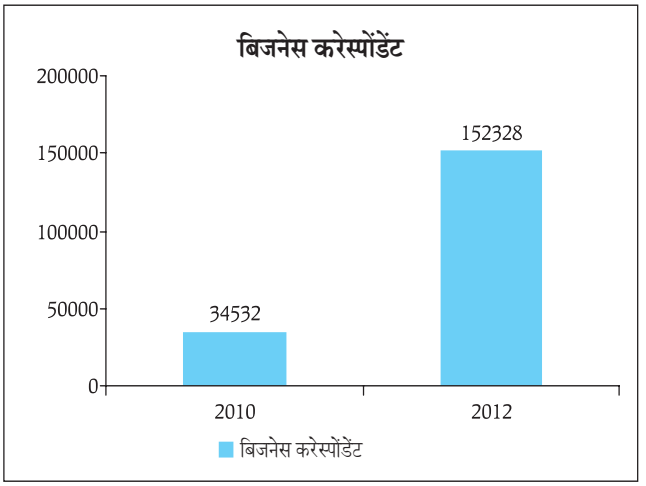

iii. आधारभूत बचत बैंक खातों की कुल संख्या 2010 के 73.45 मिलियन से बढ़ कर 31 दिसंबर 2012 को 171.43 मिलियन पर पहुंच गई, किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 2010 के 24.31 मिलियन से बढ़ कर 31 दिसंबर 2013 तक 31.73 मिलियन पर तथा जनरल क्रेडिट कार्ड की संख्या 2010 के 1.39 मिलियन से बढ़ कर 31 दिसंबर 2012 को 3.11 मिलियन पर पहुंच गई.

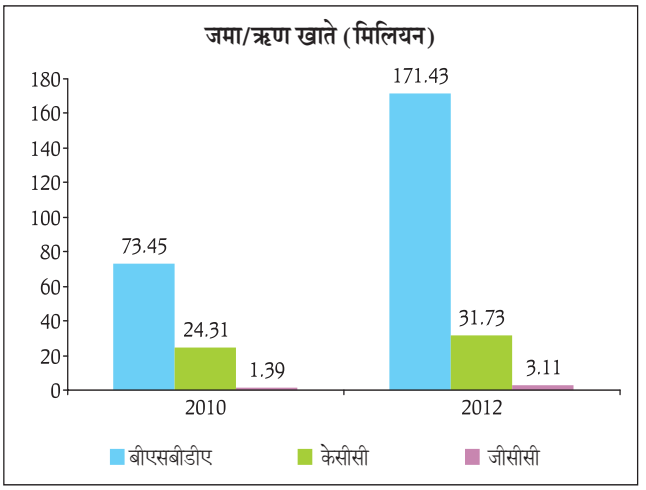

iv. आइसीटी-आधारित खातों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है - बीएसबीडीए खातों से आइसीटी खातों का प्रतिशत बढ़ कर 42 हो गया.

अप्रैल 2010 से दिसंबर 2012 की अवधि में बीसी आधारित आइसीटी लेनदेनों की कुल संख्या 4090.12 लाख रही.

v. आइसीटी आधारित बीसी लेनदेनों की संख्या उत्साहजनक है, फिर भी यह बैंकिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि की तुलना में काफी कम है. अतः अब निगरानी का केंद्र नो-फ्रिल खातों की संख्या, बीसी के माध्यम से खोले गए ऋण तथा विप्रेषण खातों की संख्या और मूल्य पर अंतरित हो गया है. इस दिशा में, हमने बैंकों को यह सूचित किया है कि वे वित्तीय समावेशन योजना को शाखा स्तर तक ले जाएं तथा हमने संबंधित बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों और सभी राज्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल किया है.

स्वाभाविक रूप से आप यह जानना चाहेंगे कि वित्तीय समावेशन योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए बैंकों द्वारा महसूस की जा रही प्रमुख कठिनाइयां क्या हैं?

कार्यकुशल व्यवसाय मॉडल

बैंकों को अभी भी यह समझना है कि वित्तीय समावेशन एक लाभप्रद व्यवसाय मॉडल है. प्रतिसूचनाओं से यह प्रतीत होता है कि बैंक इसे व्यवसाय मॉडल के रूप में लेने के बजाय विनियामक अपेक्षा के तौर पर ले रहे हैं. बैंकों को यह महसूस करना है कि स्थिर खुदरा जमा आधार विकसित करने तथा विविधीकृत आस्ति पोर्टफोलियो से आय की अस्थिरता को थामने में बैंकिंग क्षेत्र के लिए गरीबों की बैंक योग्यता बड़े अवसर प्रदान कर सकती है. हाल ही के संकट ने इस बात को रेखांकित किया है कि वित्तीय स्थिरता के लिए थोक जमाओं,

उधार की निधियों पर निर्भरता को कम किए जाने तथा आस्तियों और देयताओं का खुदरा पोर्टफोलियो बनाए जाने की जरूरत है. वित्तीय समावेशन लागू करते समय बैंकों को जिन दो मुद्दों को समझने की जरूरत है, वे हैं-

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को धर्मार्थ आधार पर नहीं, बल्कि वाणिज्यिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए. यह बात महत्वपूर्ण है कि गरीबों के साथ बैंकिंग को व्यवहार्य तथा धारणीय व्यवसाय मॉडल के रूप में लिया जाए.
- गरीबों को सहायता दिये जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका शोषण भी नहीं किया जाना चाहिए. जरूरत इस बात की है कि जो गरीब लोग ऋण के लिए पात्र हों, उन्हें समय पर तथा पर्याप्त ऋण बिना किसी शोषण के मिले.

बिजनेस करेस्पोंडेंट मॉडल - व्यवहार्यता का मुद्दा

बिजनेस करेस्पोंडेंट मॉडल अभी भी प्रायोगिक चरण में है और इससे संबंधित कई प्रकार की चुनौतियां मौजूद हैं. इस मॉडल की व्यवहार्यता एक जटिल मुद्दा है. विभिन्न सर्वे से यह पता चलता है कि शाखाओं के कर्मचारी बीसी अथवा ग्राहकों के पास नहीं जाते तथा ग्रामीणों का बिजनेस करेस्पोंडेंट से परिचय नहीं कराते. इस संबंध में, शाखा अधिकारियों ने स्टाफ की कमी होने को प्रमुख कारण बताया है. साथ ही, बीसी द्वारा खोले गए अधिकांश खातों में कोई परिचालन नहीं होते. वित्तीय समावेशन में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमने बैंकों से कहा है कि वे वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को अपने नियंत्रक कार्यालय और शाखा स्तर तक ले जाएं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि शाखा स्तर के कर्मचारी वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को तथा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक शाखा/अंचल को दिये गए विशिष्ट लक्ष्यों को जानेंगे.

प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे

वित्तीय समावेशन की प्राप्ति में एक अन्य बाधा भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी की है. आइसीटी आधारित मॉडल की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों का समाधान बहुत जरूरी है.

iv) वित्तीय साक्षरता

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता समीकरण के दो पक्ष हैं. लोगों की मांग के अनुसार वित्तीय बाजार/सेवाएं उपलब्ध करा कर वित्तीय समावेशन आपूर्ति पक्ष का काम करता है, वहीं वित्तीय साक्षरता लोगों को इस संबंध में सचेत बना कर मांग पक्ष का काम करती है कि वे किन चीजों की मांग कर सकते हैं. अतः यह आवश्यक है कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय शिक्षण का काम साथ-साथ चले. यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समाज के सभी वर्गों को लक्ष्य बना कर चलनी चाहिए.

वित्तीय जागरूकता उन लोगों में पैदा करनी है जो साक्षर और गरीब हैं. इसके लिए एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल विकसित करना और दक्ष सुपुर्दगी तंत्र स्थापित करना बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती है. वित्तीय साक्षरता और जागरूकता के लिए सभी हितधारकों की राष्ट्रीय स्तर की समन्वयन समिति बनाए जाने की जरूरत है जिसमें बैंक, सरकार, सिविल सोसायटी, गैर-सरकारी संस्थाएं आदि शामिल हों. भारत में, वित्तीय साक्षरता की और भी अधिक जरूरत है क्योंकि साक्षरता का स्तर बहुत कम है और समाज का एक बड़ा भाग अभी भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है. सभी वित्तीय विनियामकों और अन्य हितधारकों के बीच कारगर समन्वयन स्थापित करने के लिए वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर एक तकनीकी दल का गठन किया गया है. इस दल के अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर डा. चक्रवर्ती हैं और सेबी, पीएफआरडीए, इरडा, भारत सरकार, राज्य सरकारों , केंद्रीय शिक्षण बोर्ड आदि के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं. यह दल सीबीएससी/राज्यों के पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करने के लिए एनसीईआरटी/राज्यों के शिक्षण बोर्डों से बात कर रहा है.

राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय साक्षरता नीति तैयार कर ली गई है जो समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी. चूंकि चुनौती औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को जोड़ने की है जो इसके दायरे से बाहर हैं, अतः उन्हीं की भाषा में देशभर में मुहिम चला कर उन्हें आधारभूत वित्तीय उत्पादों की जानकारी देने और उनमें सजगता लाने की नीति अपनाई गई है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2007 में वित्तीय साक्षरता परियोजना शुरू की थी ताकि विशेष रूप से सामान्य जन में बैंकिंग, वित्त और केंद्रीय बैंकिंग के प्रति जागरूकता लाई जा सके. इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्य समूहों के बीच वित्तीय जागरूकता और वित्तीय साक्षरता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें बैंकिंग और भारतीय रिज़र्व बैंक पर कॉमिक बुक प्रकाशित करना, वित्तीय शिक्षण पर गेम, स्कूल/कॉलेजों के दौरे, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, बैंकिंग और भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में जागरूकता के लिए स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं तथा क्विज आयोजित करना, शीर्ष प्रबंध तंत्र/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा गांवों आदि के दौरे, भारतीय रिज़र्व बैंक की यंग स्कॉलर स्कीम आदि शामिल हैं.

अग्रणी जिला प्रबंधकों के 630 से अधिक कार्यालयों में वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करने के लिए बैंकों से कहा गया है. दिसंबर 2012 के अंत में 658 वित्तीय साक्षरता केंद्र चल रहे थे जिनमें अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में 1.5 मिलियन लोगों को शिक्षित किया गया. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित एससीबी की 35000 ग्रामीण शाखाओं को यह आदेश दिया गया है कि वे वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लिए माह में कम से कम एक बार आउटडोर वित्तीय साक्षरता गतिविधियां आयोजित करें. वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए बैंकों द्वारा चलाए जाने वाले साक्षरता केम्प का एक मॉडल तैयार किया गया है जिसमें वित्तीय रूप से वंचित लोगों को कारगर तरीके से वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के लिए विस्तृत परिचालनगत रूपरेखा दी गई है. साथ ही, इस दृष्टि से कि लक्षित समूह को सरल और समझ में आने वाली भाषा में वित्तीय साक्षरता सामग्री निरंतर मिलती रहे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता पर व्यापक सामग्री तैयार की है, जिसमें वित्तीय साक्षरता दिशानिर्देश, वित्तीय डायरी तथा वित्तीय साक्षरता पर 16 पोस्टर (कुछ पोस्टर यहां नीचे दिये गए हैं) शामिल हैं.

v) शिक्षा

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूं क्योंकि यहां मुझे बड़ी संख्या में युवक दिखाई दे रहे हैं. शिक्षण से संबंधित लक्ष्यों को सिर्फ सरकारी प्रयासों से नहीं पाया जा सकता. विभिन्न क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम शामिल करते हुए भारत और विदेशों में शिक्षा का दायरा काफी बढ़ाया गया है, आर्थिक विकास तथा समग्र जीवन स्तर को उठाने के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यावसायिक शिक्षण को शामिल करते हुए शिक्षा के प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों को ''प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र'' के अंतर्गत दो वर्गों में रखा है, पहला है भारत में अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण और दूसरा, विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण. वर्ष 2001 में भारतीय बैंक संघ ने एक मॉडल शिक्षण योजना बनाई जिससे संशोधित सरल मानदंडों के साथ अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने में आर्थिक रूप से कमजोर

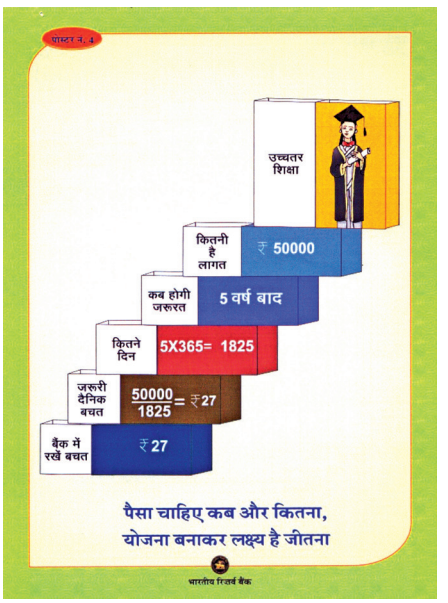

वर्ग को आसानी हुई. बाद में इस योजना में संशोधन किए गए, अंतिम संशोधन सितंबर 2012 में किया गया.

शिक्षा के लिए ऋण को आर्थिक विकास और संपन्नता के लिए निवेश के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि आने वाले वर्षों में जानकारी और ज्ञान ही आर्थिक विकास को बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे.

अंत में, मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहूंगी कि हम यह आशा करते हैं कि हाल ही में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के मानदंडों में संशोधन, लघु और सीमांत किसानों तथा व्यष्टि और लघु उद्यमियों को सीधे ऋण, कम लागत वाली आवासन योजनाओं तथा विद्यार्थियों और कम आय वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करने से बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऐसे व्यवहार्य व्यावसायिक अवसर के रूप में पाएंगे जिससे वित्तीय रूप से वंचित लोगों तक पहुंचा जा सकेगा. आने वाले 10-15 वर्षों में, विशेषकर भारत में बैंक वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य व्यावसायिक अवसर में बदलने की क्षमता पर आधारित पैकिंग आर्डर से अपनी स्थिति का तादात्म्य स्थापित कर लेंगे. ऐसे बैंक जो समाज के बड़े वंचित वर्गों को वित्तीय सुविधाएं देने को व्यावसायिक अवसर में बदलने में समर्थ होंगे, शीर्ष पर पहुंच जाएंगे. वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय स्थिरता ये तीनों ही आने वाले समय में अत्यधिक प्रासंगिक होंगे. देश में बैंकिंग की व्यापकता और गहनता ही वित्तीय स्थिरता निर्धारित करेंगे.

बैंकिग क्षेत्र ने ऋण देकर और वित्तीय जागरूकता लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं हमारे सभी प्रयासों के बावजूद अभी भी गांवों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा भाग बैंकिंग के दायरे से बाहर है. ग्रामीण भारत में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, और जैसाकि मैंने पहले कहा है, यह बैंकों के लिए जबरदस्त व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराता है. मैं इस मंच के माध्यम से बैंकरों से यह आग्रह करना चाहूंगी कि वे ऐसा ग्रामीण भारत बनाने में तहेदिल से योगदान दें जहां बैंकिंग के संबंध में जागरूकता हो और हर घर का एक बैंक खाता हो, जहां भारत और इंडिया एक बन जाएं तथा समानता के साथ समृद्धि वास्तविकता बन जाए.

मैं अपनी बात वित्तमंत्री के इन शब्दों को उद्धृत करते हुए समाप्त करना चाहूंगी- ''भारत क्या बन सकता है, कोई भी अर्थशास्त्री यह बता सकता है, क्योंकि हम विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. वर्ष 2017 तक हम आठवीं या शायद सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं. हम 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर वाली विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक हो सकते हैं.'' हम जो भी कुछ बनेंगे वह स्वयं हम पर और इस बात पर निर्भर करेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं. स्वामी विवेकानंद ने, जिनकी 150वीं जयंती हमने अभी हाल ही में मनाई है, कहा है- ''आप जो कुछ भी शक्ति और सहायता चाहते हैं, वह आपके भीतर ही मौजूद है, अतः अपने भविष्य का स्वयं ही निर्माण करो.'' मेरे युवा मित्रो, मैं भी अपनी शुभकामनाओं के साथ यही सबसे अच्छी सलाह आपको देना चाहूंगी.

महान लोग जिस ऊंचाई पर पहुंचे

और उसे बनाए रखा

वहां वे अचानक उड़ कर नहीं पहुंचे

जब उनके साथी सो रहे थे

वे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

मैं इस सेमिनार और आपके विचार-विमर्श की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं. धन्यवाद.